मध्यप्रदेश शासन
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय

<u>आदेश</u>

भोपाल, दिनांक 26 AUG 2021

क्रमांक : एफ-3-02/2020/तेरह : यह कि, मेसर्स एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-II लिमिटेड, मुख्य कार्यालय CORE-4, स्कोप काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003, टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया (TBCB) के माध्यम से मध्यप्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में ट्रांसमिशन प्रणाली के विकास हेतु 220 / 132 केव्ही लाइनों के निर्माण कार्य संलग्न परिशिष्ट अनुसार करने का इरादा रखता है।

और यह कि आवेदक मेसर्स एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-II लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा मध्यप्रदेश में 220 / 132 केव्ही लाइनों के निर्माण कार्य हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के तहत अनुमति प्रदान करने बावत आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त पैकेज-II अंतर्गत प्रस्तावित पारेषण लाइनें मध्यप्रदेश के 24 जिलों यथा पन्ना / छतरपुर / सागर / रायसेन / होशंगाबाद / सिंगरौली / विदिशा / शिवपुरी / भिण्ड / श्योपुर / ग्वालियर / छिंदवाडा / दमोह / सिवनी / रीवा / कटनी / जबलपुर / उमरिया / शहडोल / नरसिंहपुर / टीकमगढ / निवाडी / मंडला / बालाघाट में है एवं क्षेत्र के मुख्य ग्राम लाइनों के मार्ग में सम्मिलित रहेंगे।

अतएव, प्राप्त आवेदन पर विचारोपरांत राज्य सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के अधीन मेसर्स एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-II लिमिटेड, नई दिल्ली को मध्यप्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में संलग्न परिशिष्ट के अनुसार 220 / 132 केव्ही लाइनों का निर्माण कार्य किए जाने हेतु निम्नानुसार शर्तों के साथ अनुमति प्रदान करता है :-

(i) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के अंतर्गत प्रदत्त अनुमति को संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित शिरोपरि पारेषण लाइनों के निर्माण के उद्देश्य मात्र के लिए सीमित रखा जाएगा।

(ii) आवेदक कंपनी अपने स्वयं के व्यय पर जिलाधिकारी, अन्य संबंधित विभागों और भूमि मालिकों से "राइट ऑफ वे" (आर.ओ.डब्लू.) की अनुमति प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा।

14

(iii) आवेदक कंपनी उपरोक्त पारेषण लाईनों को म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपीपीटीसीएल) द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान और लाइन ओरिएंटेशन के अनुसार म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी के उपकेन्द्रों में संबद्ध करेगी।

(iv) आवेदक कंपनी द्वारा पारेषण लाइनों का निर्माण कार्य टोपो शीट पर चिह्नित प्रस्तावित मार्ग के अनुरूप किया जाएगा।

(v) आवेदक कंपनी द्वारा प्रस्तावित लाइनों का निर्माण विद्युत अधिनियम, 2003 (यथा संशोधित) एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों/विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 (यथा संशोधित), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2010 (यथा संशोधित) और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों का निर्माण, प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए सुरक्षा आवश्यकताएं) विनियम, 2011 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अधीन किया जाएगा।

(vi) आवेदक कंपनी को गांवों/शहरों के उन भूमि मालिकों से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करना होगा, जिनकी भूमि पर लाइन के टावरों को खड़ा किया जाना है।

(vii) पारेषण लाइनों के टावर बेस और आर.ओ.डब्लू. कॉरिडोर से संबंधित नुकसान के लिए सक्षम राजस्व प्राधिकारी द्वारा तय किए गए अनुसार भूमि मुआवजा आवेदक कंपनी द्वारा भूमि मालिकों को देय होगा।

(viii) यदि लाइनों के निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई की आवश्यकता होती है, तो आवेदक कंपनी सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करेगी।

(ix) प्रस्तावित शिरोपरि लाइनों के विद्यमान पारेषण लाइनों, राष्ट्रीय / राज्य राजमार्ग, नदी, रेलवे ट्रैक आदि के साथ क्रासिंग के मामले में आवेदक कंपनी, सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी प्राप्त कर कार्य करेगी।

(x) यदि वन भूमि के ऊपर से लाइनें पास करने का प्रस्ताव है, तो आवेदक कंपनी वन क्षेत्र में काम शुरू करने के पूर्व वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त करेगी। हालांकि लाइन बिछाने में वन क्षेत्र की संलिप्तता न होने की स्थिति में सक्षम वन प्राधिकारी से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

(xi) यदि प्रस्तावित लाइनें दूरसंचार लाइनों या अनुज्ञप्तिधारियों की लाइनों के पास से गुजरती हैं, तो आवेदक कंपनी को सक्षम प्राधिकारियों से अनुमति लेनी होगी।

(xii) आवेदक कंपनी को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 160 के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा और केन्द्रीय पीटीसीसी द्वारा निर्धारित मानदंडों के

16

अनुसार प्रस्तावित लाइनों को ऊर्जीकृत करने के पूर्व पीटीसीसी रूट अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(xiii) प्रस्तावित लाइनों के निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात लाइनों को ऊर्जीकृत करने के पूर्व आवेदक कंपनी को अपने व्यय पर विद्युत निरीक्षक से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(xiv) प्रस्तावित लाइनों के निर्माण से, यदि व्यक्तिगत / सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान होता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत क्षतिपूर्ति का भुगतान आवेदक कंपनी को करना होगा।

(xv) यदि आवेदक कंपनी की लाइनों पर किसी वैधानिक प्रावधान के अनुसार कोई शुल्क लगाया जाता है, तो यह आवेदक कंपनी द्वारा देय होगा।

(xvi) आवेदक कंपनी राज्य / केन्द्र सरकार की सभी प्रचलित एवं समय-समय पर संशोधित सांविधिक आवश्यकताओं का परिपालन सुनिश्चित करेगी।

(xvii) आवेदक कंपनी कार्य के दौरान दुर्घटना या अन्य किसी कारण से उसके तथा अन्य पक्ष के बीच के मामलों में विवादों/निपटान के आपराधिक और नागरिक दायित्व से राज्य सरकार को प्रतिरक्षित रखेगी।

(xviii) लाइनों के निर्माण के लिए उपरोक्त अनुमति राज्य शासन द्वारा आदेश जारी करने की दिनांक से 4 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है। आवेदक कंपनी द्वारा इस अवधि के भीतर निर्माण पूरा कर राज्य शासन और म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को सूचित करना होगा।

(xix) सरकार उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि समाप्त होने पर किसी भी समय अनुमोदन को वापस या रद्द कर सकती है।

(xx) उपरोक्त नियमों एवं शर्तों में से किसी के उल्लंघन पर, यह अनुमति स्वतः रद्द हो जाएगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

21/8/24

(नीरज अग्रवाल)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग

पृष्ठा. क्रमांक : एफ-3-02/2020/तेरह भोपाल, दिनांक 26 AUG 2021

प्रतिलिपि -

1. प्रबंध संचालक, एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
2. प्रबंध संचालक, म.प्र. पूर्व / मध्य / पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर / भोपाल / इंदौर।
3. प्रबंध संचालक, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
4. मेसर्स एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज-II लिमिटेड, मुख्य कार्यालय CORE-4, स्कोप काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.
5. कलेक्टर, जिला पन्ना / छतरपुर / सागर / रायसेन / होशंगाबाद / सिंगरौली / विदिशा / शिवपुरी / भिण्ड / श्योपुर / ग्वालियर / छिंदवाडा / दमोह / सिवनी / रीवा / कटनी / जबलपुर / उमरिया / शहडोल / नरसिंहपुर / टीकमगढ / निवाडी / मंडला / बालाघाट (म.प्र.)।
6. आयोग सचिव, म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, भोपाल।
7. मुख्य अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, म.प्र. शासन, सतपुडा भवन, भोपाल।
8. मुख्य अभियंता (योजना एवं रूपांकन)/(प्रोक्योरमेंट), म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
9. निदेशक (पी.एस.पी एवं ए-1), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, सेवा भवन, आर.के. पुरम-1, नई दिल्ली - 110066.

26/8/21

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग

परिशिष्ट

क्रमांक	पारेषण कार्य
1.	**220/132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र अजयगढ़ (जिला पन्ना)**
i	अजयगढ़ 220 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये सतना - छतरपुर 220 के.व्ही. लाइन के दोनों सर्किट का लीलो कार्य।
ii	अजयगढ़ - पन्ना 132 के.व्ही डीसीएसएस लाइन।
iii	अजयगढ़ - लवकुश नगर (लौंडी) 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन।
2.	**220/132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र बेगमगंज (जिला रायसेन)**
i	सागर - बेगमगंज 220 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन।
ii	बेगमगंज - राहतगढ़ 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन।
iii	बेगमगंज - सिलवानी 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन।
iv	बेगमगंज - ग्यारसपुर 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन।
v	बेगमगंज - गैरतगंज 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन।
3.	**220/132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र बरगवां (जिला सिंगरौली)**
i	बरगवॉं 220 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये सीधी - हिंडालकों 220 के.व्ही. लाइन के दोनों सर्किट का लीलो कार्य।
ii	बरगवां 220 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये रजमिलान - मोरवा 132 के.व्ही. लाइन का लीलो कार्य।
iii	बरगवां 220 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये बैढन - मोरवा 132 के.व्ही. लाइन का लीलो कार्य।
4.	**132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र मेहलुआ चौराहा (जिला विदिशा)**
i	मेहलुआ चौराहा 132 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये बीना - गंजबासौदा 132 के.व्ही. लाइन का लीलो कार्य।
5.	**132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र नरवर (जिला शिवपुरी)**
i	नरवर 132 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये मढीखेड़ा - करेरा 132 के.व्ही. लाइन का लीलो कार्य।
6.	**132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र कनाथर (जिला भिंड)**
i	कनाथर 132 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये मेहगांव 220 - सेंवढा 132 के.व्ही. लाइन का लीलो कार्य।
ii	हस्तिनापुर - कनाथर 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन।
7.	**132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र बीरपुर (जिला श्योपुर)**
i	बीरपुर 132 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये सबलगढ़ - श्योपुर 132 के.व्ही. लाइन का लीलो कार्य।

क्रमांक	पारेषण कार्य
8.	**132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र एमईएस ग्वालियर (जिला ग्वालियर)**
i	मालनपुर 220 - एमईएस ग्वालियर 132 के.व्ही. डीसीडीएस लाइन।
9.	**132/33 के.व्ही.उपकेन्द्र खानियाधाना (जिला शिवपुरी)**
i	खानियाधाना 132 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये पिछौर - राजघाट 132 के.व्ही. लाइन का लीलो कार्य।
10.	**132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र चाँद (जिला छिंदवाडा)**
i	छिंदवाडा 220 - चाँद 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन।
ii	चाँद - बिछुआ 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन।
11.	**132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र केवलारी (जिला सिवनी)**
i	केवलारी 132 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये सिवनी 220 - नैनपुर 132 के.व्ही. लाइन का लीलो कार्य।
12.	**132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र देवेन्द्र नगर (जिला पन्ना)**
i	देवेन्द्र नगर 132 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये सतना - पन्ना 132 के.व्ही. लाइन का लीलो कार्य।
13.	**132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र सिमरिया (जिला पन्ना)**
i	पटेरा - सिमरिया 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन।
ii	सिमरिया - हट्टा 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन।
14.	**132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र खैरा(मनिकवार) (जिला रीवा)**
i	मऊगंज - खैरा (मनिकवार) 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन।
ii	खैरा (मनिकवार) - मनगवा 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन।
15.	**132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र बहोरीबंद(जिला कटनी)**
ii	स्लीमनाबाद - बहोरीबंद 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन।
i	बहोरीबंद - कटंगी 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन।
16.	**220/33 के.व्ही. उपकेन्द्र मानपुर(बिजौरी) (जिला उमरिया)**
i	मानपुर (बिजौरी) 220/33 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये बिरसिंगपुर - सतना 220 के.व्ही. लाइन का लीलो कार्य।
17.	**132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र गोपालगंज(कुरई) (जिला सिवनी)**
i	गोपालगंज (कुरई) 132 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये पेंच - सिवनी 132 के.व्ही. लाइन का लीलो कार्य।
18.	**132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र हर्रई (जिला छिंदवाड़ा)**
i	देवनगर - हर्रई 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन।
ii	हर्रई - अमरवाड़ा 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन।
19.	**प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्य**
i	दिगौड़ा - पृथ्वीपुर 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन।
ii	बैहर 132 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये नैनपुर - मंडला लाइन का लीलो कार्य।

16